प्रो. आर.के.पी. सिंह
कुलपति

Prof. R.K.P. Singh
Vice-Chancellor

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University
Department of Divangjan Empowerment
Government Of Uttar Pradesh

पत्रांक 1084 / प0सं0–432 / सा0परि0 / 2019–20
दिनांक 28 अगस्त, 2019

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 को मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवलोकनार्थ।
2. श्री अनिल राजभर, मा0 मंत्री जी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, मा0 अध्यक्ष, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।
4. श्री आर0 के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. श्री महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह व गोपन एवं सूचना, उ0 प्र0 शासन।
7. श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
8. अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली।
9. डा0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10. प्रो0 एस0 पी0 सिंह, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. श्रीमती एस0 राधा चौहान, प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
12. श्री राज प्रताप सिंह, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), गोमती नगर, लखनऊ।
13. डॉ0 एस0 के0 श्रीवास्तव, आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उ0 प्र0, लखनऊ।
14. निदेशक, एन0आई0एल0डी0, कोलकाता।
15. निदेशक, ए0वाई0एन0आई0एस0एण्ड0एच0डी0, मुम्बई।
16. निदेशक, एन0आई0ई0पी0वी0डी0, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0ई0पी0ई0डी0, सिकन्दराबाद।
18. डा0 जितेन्द्र कुमार जैन, चिकित्सक, इलाहाबाद।
19. श्री अशोक कुमार द्विवेदी, एडवोकेट, फैजाबाद।
20. श्रीमती मनप्रीत कालरा, सचिव, दिव्यांग डेवलेपमेण्ट सोसाइटी, कानपुर।

विषयः– **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 सामान्य परिषद् की षष्ठम् बैठक दिनांकः 20 अगस्त, 2019 के कार्यवृत्त का प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के मा0 सामान्य परिषद् की षष्ठम् बैठक दिनांकः 20 अगस्त, 2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– **यथोपरि।**

भवदीय,

(प्रो. आर. के. पी. सिंह)
कुलपति

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के मा0 सामान्य परिषद की

षष्ठम् बैठक दिनाँकः 20 अगस्त, 2019 का कार्यवृत्त

समय–	सायं 06:30 बजे
स्थान–	5, कालीदास मार्ग स्थित सभागार मा0 मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद की बैठक मा0 अध्यक्ष, सामान्य परिषद/मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/6	**मा0 सामान्य परिषद की पंचम आस्थगित बैठक की पुनर्आहूत बैठक दिनाँकः 25.01.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/6	**मा0 सामान्य परिषद की पंचम आस्थगित बैठक की पुनर्आहूत बैठक दिनाँकः 25.01.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/6	**मा0 सामान्य परिषद की पंचम आस्थगित बैठक की पुनर्आहूत बैठक दिनाँक 25.01.2019 में बिन्दु संख्या–3/5 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा पंचम आस्थगित बैठक की पुनर्आहूत बैठक दिनाँक 25.01.2019 में बिन्दु संख्या–3/5 में लिए गये निर्णयों पर बिन्दुवार कृत कार्यवाही से अवगत हुई, जिस पर अध्यक्ष, मा0 सामान्य परिषद द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पंचम आस्थगित बैठक के बिन्दु संख्या–3/5 में लिये गये निर्णयों पर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय तथा कृत कार्यवाही से मा0 सामान्य परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
4/6	**विश्वविद्यालय में पी0एच0–डी0 अध्यादेश के आलेख पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा पी0एच0–डी0 अध्यादेश के आलेख पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया – (i) प्रस्तावित पी0एच0–डी0 अध्यादेश की धारा–1.1 के अन्तर्गत पी0एच0–डी0 कोर्सवर्क करने के लिए सिर्फ शिक्षकों हेतु छः माह का अवकाश लेकर ही प्रवेश लेने का अधिकार होगा। (ii) प्रस्तावित पी0एच0–डी0 अध्यादेश की धारा–1.4 की उपधारा–ग में उल्लिखित "20 अंकों का लिखित, विस्तृत और विवरणात्मक एक प्रश्न सम्बद्ध विषय पर आधारित होगा।" को विलोपित करते हुए धारा–1.4 की उपधारा–ख समाहित करते हुए प्रवेश परीक्षा कुल 90 अंकों की वैकल्पिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से सम्पन्न होगी।

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	(iii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा हेतु भारत सरकार से निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधाएं अनुमन्य कराया जाय। उक्त संशोधनों के साथ मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद से संस्तुत/अनुमोदित पी0एच0–डी0 अध्यादेश पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/6	**विश्वविद्यालय की सम्बद्धता अध्यादेश के आलेख पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय प्रदान किया गया कि "विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं/महाविद्यालयों को केवल ऐसे ही पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, जो दिव्यांगता से सम्बन्धित हो तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वासन हेतु कार्यरत हो।" उक्त संशोधनों के साथ मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद से संस्तुत/अनुमोदित सम्बद्धता अध्यादेश/परिनियमावली पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, अधिनियम 2009 की धारा–5(दो) में उक्तानुसार संशोधन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6/6	**विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2015–16 से संचालित बी0वी0ए0 एवं एम0वी0ए0 पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2015–16 से संचालित स्नातक स्तर पर बैचलर आफ विजुअल आर्ट इन पेंटिंग, बैचलर आफ विजुअल आर्ट इन एप्लाइड आर्ट एवं बैचलर आफ विजुअल आर्ट इन स्कल्पचर (BVA in Painting/BVA in Applied Art /BVA in Sculpture) एवं इसी प्रकार परास्नातक स्तर पर मास्टर आफ विजुअल आर्ट इन पेंटिंग, मास्टर आफ विजुअल आर्ट इन एप्लाइड आर्ट एवं मास्टर आफ विजुअल आर्ट इन स्कल्पचर (MVA in Painting/MVA in Applied Art/MVA in Sculpture) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/6	**विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2018–19 की प्रगति आख्या।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2018–19 की प्रगति आख्या को अवलोकित करते हुए अवगत हुई।
8/6	**उ0 प्र0 राज्य के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा उ0 प्र0 के बाहर के दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने पर विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम–इंजीनियरिंग तथा बी0बी0ए0 के अन्तर्गत अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु निर्णय प्रदान किया गया।
9/6	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**
(1)	**विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के आचार्य श्री पाण्डेय राजीवनयन द्वारा धनराशि रू0 99.00 लाख की मूर्ति की आपूर्ति में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद के सदस्य श्री अशोक कुमार द्विवेदी द्वारा इस बिन्दु को रखते हुए विस्तृत जांच कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर कुलपति, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 24वीं बैठक में उक्त प्रकरण पर विशेष आडिट कराये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग से अनुरोध किया जा चुका है तथा ललित कला विभाग के आचार्य श्री पाण्डेय राजीवनयन को आरोप–पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 सामान्य परिषद द्वारा उक्त प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए दोषियों को दण्डित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(2)	**विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद चित्रकूट में खुदाई में की गई वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— मा0 सामान्य परिषद के सदस्य श्री अशोक कुमार द्विवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद चित्रकूट में खुदाई हेतु एक ही कार्य के लिए राज्य सरकार/यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय आदि विभिन्न स्रोतों से धनराशि आहरित की गई है, जिस पर विस्तृत जांच किये जाने आवश्यकता है, तत्क्रम में मा0 सामान्य परिषद द्वारा इस प्रकरण पर जांच कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
	अन्य किसी बिन्दु के अभाव में बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक समाप्त की गयी।

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ